

-:: ज्ञापन ::-

'जन.लि. / तह. / 2018 प्रति

विषय:-

कसडोल दिनांक 24.04.2018

र्जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़

गोविंद सारंग परिसर तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर 492006

भारत की जनगणना 2021 के लिये योजना क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की

सूची का सत्यापन कर भेजने बावत् ।

संदर्भ :-आपका पत्र क्रमाक आई—11011/1/2018—जन—डीसीओ(छ.ग.)/H1409 दिनांक 01.02.2018 ।

-::000::-

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है तहसील कसडोल (ग्रामीण) के अंतर्गत वनग्राम रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा जिला महासमुंद (छ.ग.) में विस्थापित हो गया है । संबंधित ग्राम का आदेश/अधिसूचना की कापी वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बलौदाबाजार (छ.ग.) को पत्र जारी किया गया था परन्तु संबंधित विभाग से अधिसूचना की कापी प्रदाय नहीं किया गया है, इसलिये आदेश/अधिसूचना की कापी संलग्न नहीं किया गया है । जनगणना 2011 के ग्राम सूची का सत्यापन हिन्दी/अंग्रेजी में लाल पेन से संसोधन कर अंकित किया गया है।

अतः जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित् । संलग्न :— जनगणना 2011 का ग्राम सूची का सत्यापन ।

तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी कसडोल (ग्रामीण) कसडोल दिनांक 24.04.2018

कमांक / 1799/ जन.लि. / तह. / 2018 प्रतिलिपि :-

- कलेक्टर (जन.शा.) बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) को सादर 01. सूचनार्थ सम्प्रेषित् ।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कसडोल को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित् 02.

एवं चार्ज अधिकारी कसडोल (ग्रामीण)

कार्यालय, कलेक्टर (जनगणना शाखा) बलोदाबाजार-भाटापरि

Phone: 07727-223536

Fax: 07727-223445

emajl: deo-balodabazar.cg@nic.ii

NOC CO

कमांक / **। ४** / जनगणना / 2019 प्रति. बलौदाबाजार, दिनांक...०५ 02 19

निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ सोविंद सारंग मुख्या स्वीर

गोविंद सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

विषय :--

भारत की जनगणना 2021 के लिए योजना— क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची के सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ :--

आपका पत्र कमांक आई—11011/2018/जन.—डीसीओ (छ.ग.)/225 दिनांक 25.05.2018

---000---

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा के वनग्राम रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा का जिला महासमुंद में विस्थापन संबंधी जानकारी चाही गयी थी।

अतएव इस संबंध में 03 वनग्रामों कमशः रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा का जिला महासमुंदर में विस्थापन किये जाने हेतु छ.ग. शासन वन विभाग का पत्र इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है। साथ ही साथ वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार द्वारा दिये गये जानकारी अनुसार वनग्राम नवापारा का महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में भवा (bhawa) में विस्थापित हुआ है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रभारी अधिकारी

जनगणना

्रजिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

F.No. 8-131/2006-FC Government of India Ministry of Environment & Forests (FC Division)

Paryayaran Ellawan, C.G.O Complex. Lodhi Road, New Delhi - 110510. Dated: 10th September 2008

The Principal Secretary (Forests), Government of Chhattisgarh, Raipur

टिनांक 2-5

Diversion of 922.30 ha (originally proposed 1203.00 ha) of forest land for relocation Nawapara, Rampur, Latadadar forest village of Barnawapara Wildlife Sanctuary outside the protected

m directed to refer to the State Government's letter no. F - 5 - 16 / 2005 / 10 - 2 dated 7.10.2006 / the subject stationed above seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Conservation) Act, 1980, and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act.

After careful examination of the proposal of the State Government, and on the basis of the Pessimmendations of the Forest Advisory Committee, in-principle approval of the Central Government is Figure 2. granted for diversion of 922.30 ha (originally proposed 1203.00 ha) of forest land for relocation Rampur, Latadadar forest village of Barnawapara Wildlife Sanctuary outside the protected area in enesamend district of Chhattisgarh subject to fulfillment of the following conditions:

- Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged unless the Hon ble Supreme Court of India vacates its order dated 13.11.2000 in Writ Petition (Civil) No. 337 of 1995
- Areas vacated by villagers in the sanctuary will be transferred and mutated in favour of the (E) Forest Department and shall be developed into pasture / meadow land at the project cost. This vacated land will be declared as RF/PF as per the provision of Indian Forest Act, 1927. (111)
- Steps may be taken to minimize biotic pressure of this resettlement over adjoining / nearby
- The forest land shall not be utilized for any purpose other than that specified in the proposal.

Any other condition which the State Government or Chief Conservator of Forests (Central), Office, Bhopal may stipulate from time to time in the interest of afforestation, otection and improvement of flora and fauna of the area.

> (C.D (Singh) Sr. Assistant Inspector General of Porests

The Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Chhattisgarh, Raipur.

The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office of McEF, Bhopal. The Nodal Officer, Forest Department, Govt. of Chhattisgarh, Raipur.

Guard File,

Monthering Cell of FC Section Co 4018

Sr. Assistant Inspector General of Forests

कार्यालय तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी पिथौरा, जिला— महासमुंद (छ०ग०)

—:: ज्ञापन ::**—**

क्रमांक / 149 /क / जनगणना / 2018

प्रति.

जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर

पिथौरा, दिनांक 16/05/2018

विषय:-

भारत की जनगणना 2021 के लिये योजना क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची का सत्यापन ।

संदर्भ :-

जनगणना कार्य निदेशालय छ.ग. गोविंद सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक / आई—11011 / 1 / 2018—जन डीसीओ छ०ग० / 185 दिनांक 8 / 5 / 18 एवं कार्यालय कलेक्टर महासमुंद का पत्र क्र / 278 / क / जन. / 2018 महासमुंद दिनांक 03 मई 2018.

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि तहसील पिथौरा (ग्रामीण) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त हुआ हैं। जिसका सत्यापन कर लाल स्याही से चिन्हित (गोला लगाकर) सही नाम अंकित कर दिया गया हैं।

2 जनगणना 2011 में वन ग्राम रामपुर, जिला बलौदा बाजार, विकासखण्ड कसडोल के अंतर्गत समाहित था। जिसे विस्थापन पश्चात तहसील पिथौरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम श्रीरामपुर छ०ग० राजस्व सहिता 1969 (कृमांक 20 सन 1969) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर जिला महासमूद द्वारा राजस्व ग्राम घोषित किया गया हैं। जिसकी अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न हैं।

3 विस्थापित वन ग्राम लाटादादर को पिथौरा विकासखण्ड में समाहित कर राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेत् छ०ग० भाासन वन विभाग रायपुर मंत्रालय के कैपिटल काम्पलेक्स महानदी भवन रायपुर द्वारा अधिसूचना जारी किया गया हैं। जिसका रकबा 255.400 हे0 में दर्ज हैं। अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न हैं।

- 1. कार्या०कले०महा०द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति।
- 2. छ०ग० शासन वन विभाग रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति।
- राजस्व ग्राम की सत्यापित छायाप्रति।
- ब्यस्थापित वन ग्राम का चिहांकित नक्शा की छायाप्रति।
- 5. हार्ड कॉपी एवं ईमेल dco-chh.rgi@censusindia.gov.in में प्रेषित।

एवं चार्ज अधिकारी

पिथौरा, दिनांक 16/05/2018

पृ. क्रमांक / 150 /क / जनगणना / 2018 प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी महासमुंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. अनविभागीय अधिकारी राजस्व पिथौरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

एवं चार्ज अधिकारी पिथौरा

न्यामालम् नाभव तहसीलका ३, उपातस्थील स्वक्रिण पटेला जिला- गहासमुद् (न्द्रारः) ।। जापन ।।

क /572/ता. । अपःतह. /२०१९ विका काला, वि. २२/११/२०१९ जिति,

ध्री धरीय कुमार खाव,

<u>(अप निर्वधास)</u>

मारत रारकार गृहमेत्रालय जनग्ना कार्म, निक्शालय, द्रुग,

नहसील कंसडोल जिलाबर्लीकामार, भारापार, महासंबुद् में -विक्रमापितं नवापारा की वक्नुकियति क्पण्ट करने बाबत्। संदर्भ:- आपवरा पंच क्र.11011/20/2018 पि. 27/11/2019,

-विध्यांतर्गत श्री जोगेंदर नायक, समर, कलेवटर वर्णीहाबाजार भारापाबा से चय्िष्ठाइ कस्डोल तहसील के अंतर्गत स्थित वन श्राम नवापारा को तट्यील महासमुं जिला- महासमुं में रामसागरपारा के नाम से भाग एवं सिनी श्राम के पास खनः विश्वापित किया गमा हेके संवंद्य में जानकारी न्याही गई है। उक्त संबंध में पव एवं कोनी नवि द्वारा अपरोक्त ग्राम -विस्वापित रामसागरपाश माम यंचायत भावा के संवंदा में जानकारी की जिला - बलोहाबाजार कसडोल के नवागात के मामिनों को विश्वापित कर फरेस्ट श्रेय महा. के तस्त पटेता के साम यंचायत भाग एवं शिनीधा के बाजु ऋषा से -विस्थापित किथा है। निसके क्षेत्रफल की जानकारी कीरेक्ट के लेकर स्टान किया जातेगा। विस्वापितों की संख्या [68 जासंख्या लंभग ६६ २हें। श्रोप्रकल 515.340 हेंग हैं। - 34रोकत जानकारी प्रहानं एवं ग्राम पंचायत सिव से जागत कर ने बित कि जाएकी अनेत संबंध में जानकारी आपकी

970.